जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 13.03.2023

आज दिनांक 13.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना दुधारा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछित / गैंगेस्टर एक्ट में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 13.03.2023 को प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा **श्री अनिल कुमार दूबे** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 18 / 2022 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में **वांछित अभियुक्त मल्लू उर्फ कादिर पुत्र वकील निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर** को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

मल्लू उर्फ कादिर पुत्र वकील निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त मुख्तार पुत्र वकील का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 136 / 2020 धारा 3 / 5(ए) / 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 69 / 2021 धारा 3 / 5(ए) / 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 337 /2021 धारा 3(1)यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
4. मु0अ0सं0 18 /2022 धारा 3(1)यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सतीश कुमार मिश्रा, कां0 रविकान्त।

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान 02 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1-बाबूलाल पुत्र

हंसराज निवासी बालमपुर थाना धनघटा, 2- रोरी पुत्र मजाकी निवासी नरचहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, उ0नि0 श्री गामा यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 03 महिलाओं को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत हड़िया माफी से इवेन्ट संख्या 05015 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों के विवाद में 03 महिलाओं के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद मों घायलों को जरिए एंबुलेंश से इलाज हेतु प्रा0स्वा0केन्द्र शनिचरा बाजार भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद में घायलों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 शनि कुमार गौड़, आ0 उपेन्द्र कुमार, हो0चा0 रामवीर चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनो से 70,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 86 वाहनों से 70,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।